

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृतियां/कोलोनाइजर/डेवलपर : फोरएवर बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस नं./वर्ष-13/2016 दिनांक 26.09.2016. बिल्डिंग प्लान स्वीकृति की तिथि : 09.01.2017. मेमो नं. ZP-1131/SD(BS)/2017/479. **2. स्थान :** सेक्टर 95A, गुरुग्राम। **3. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान :** 1101 में से कुल आवेदन के लिए 446 अपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जिसमें आवास योजना में 8.304 एकड़ जमीन शामिल है। **4. सर्वसाधारण के लिए अपार्टमेंट के विवरण •** कैटेगरी 1: (i) 23 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 569.243 वर्गफुट लगभग (52.884 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिला कर 101.978 वर्गफुट लगभग (9.474 वर्गमीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (ii) 370 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 514.272 वर्गफुट लगभग (47.778 वर्गमीटर लगभग) और बाल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिलाकर 79.923 वर्गफुट लगभग (7.425 वर्गमीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। **5. MQ के अपार्टमेंट के विवरण •** कैटेगरी 1ए: (i) 50 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 643.849 वर्गफुट लगभग (59.815 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिला कर 124.324 वर्गफुट लगभग (11.55 वर्गमीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। (ii) 3 अपार्टमेंट प्रत्येक का कार्पेट एरिया 569.243 वर्गफुट लगभग (52.884 वर्गमीटर लगभग) और बॉल्कनी (बाल्कनियाँ) कुल क्षेत्र मिला कर 101.978 वर्गफुट लगभग (9.474 वर्गमीटर लगभग) के साथ-साथ दुपहिया वाहन पार्किंग। **6. अपार्टमेंट की आबंटन दर (सब मिला कर) + कर जो लागू हो •** कैटेगरी 1 : (i) रुपये 23,26,972 (ii) रुपये 20,97,049.5 • कैटेगरी 1ए: (i) रुपये 26,25,396 (ii) रुपये 23,26,972। उपरोक्त मूल्य 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. पीएफ-27/48921 की नीति के तहत निर्धारित दर से प्रति अपार्टमेंट कुल राशि है। इसके अतिरिक्त कर देय होगा। (विवरण विभागीय वेबसाइट अर्थात् tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)। **7. भुगतान के नियम :** i. आवेदन के साथ : बुकिंग की राशि अर्थात् प्लैट मूल्य का 5% • कैटेगरी 1 : (i) रुपये 1,16,349 (ii) रुपये 1,04,852 • कैटेगरी 1ए: (i) रुपये 1,31,269.8 (ii) रुपये 1,16,349. आबंटन पर। आबंटन पर प्लैट मूल्यका 20% अतिरिक्त। • कैटेगरी 1 : (i) रुपये 4,65,394.4 (ii) रुपये 4,19,409.9 • कैटेगरी 1ए: (i) रुपये 5,25,079.2 (ii) रुपये 4,65,394.4 ii. बाकी 75% राशि का तीन वर्षों में 6 बराबर मासिक किराओं में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में असफल रहने पर विलंब की अवधि के लिए सालाना 15% ब्याज लगेगा। **8. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण •** फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स। • खिड़कियां : आईएस कोड के अनुसार एम.एस. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : लाल मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वाल टाइल्स : 4 फुट/7 फुट की ऊंचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर • किचन काउंटर टॉप : ग्रीन मार्बल ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिस्टेंपर • सैनिटरी फिटिंग : आईएसआई मार्क सीपी फिटिंग, डब्ल्यूसी एवं वाश बेसिन • इलैक्ट्रिकल फिटिंग : आईएसआई मार्क **9. आवेदन की समय सीमाएं** — i. आवेदन पत्र मिलने और जमा करने का स्थान : फोरएवर बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, पता : 1102, टावर ए, सिग्नेचर टावर्स, गुरुग्राम — 0124-4908200 आरंभिक तिथि 02.07.2017 आवेदन शुल्क 10000 रु. जमा करना होगा। ii. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02.08.2017। **योग्यता :** 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है पर उस आवेदक को पहली प्राथमिकता दी जाएगी जिसके खुद या पत्नी (पति), आश्रित बेटे/बेटी के नाम हुआ द्वारा विकसित किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहरी क्षेत्र में कोई प्लैट/प्लॉट आवंटित नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य प्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक प्लैट चुनना होगा। **आवंटन के मानक :** 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्क कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

**THE
ROSELIA™**
SECTOR 95A, NEW GURUGRAM

RERA REG. NO.: 5 of 2017 dated 20-06-2017

*T&C apply (According to Haryana affordable housing policy) 1sq.mtr. = 10.76sq.ft.

EMD FINANCE
AVAILABLE:



BUSINESS
ASSOCIATES:



Disclaimer: The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and the rules made thereunder ("RERA") has brought about significant changes to the real estate sector. Signatureglobal is fully committed to be compliant with the provisions under RERA. Signatureglobal urges the applicant to inspect the site where the project is proposed to be constructed. The applicant shall not merely rely or be influenced by any architect's plan, sales plan, sales brochures, advertisement, representations, warranties, statements or estimates of any nature whatsoever, whether written or oral, made by Signatureglobal and shall make his personal judgment prior to booking an apartment in any project of Signatureglobal. You are requested to contact our sales team to understand and be well-versed with the current details regarding any project and only thereafter you are requested to evaluate the decision to book an apartment in any project of Signatureglobal. Rate mentioned is exclusive of all taxes as applicable.